न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/35

प्रकाश आयु 31 वर्ष आत्मज श्री मौजीराम जाति मीणा निवासी माल की झौंपडियॉ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. तेजमल आयु 54 वर्ष आत्मज श्री रामकुंवार जाति मीणा निवासी माल की झौंपडियॉ लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. श्रीमती शांति बाई आयु 58 वर्ष पुत्री श्री रामकुंवार पत्नी श्री गिर्राज जाति मीणा निवासी सहण तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमती लालीबाई आयु 51 वर्ष पुत्री श्री रामकुंवार पत्नी श्री किशनगोपाल जाति मीणा निवासी टोकसपुरिया तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. श्रीमती लाड बाई आयु 46 वर्ष पुत्री श्री रामकुंवार पत्नी श्री मनफूल जाति मीणा निवासी रेलवे स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. श्रीमती द्वारका बाई आयु 36 वर्ष पुत्री मोजीराम पत्नी श्री लेखराज जाति मीणा निवासी ग्राम पीपरवाला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. श्री रामफूल आयु 61 वर्ष आत्मज श्री रामकुंवार जाति मीणा निवासी माल की झौंपडियां तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
7. श्री सूरजमल आयु 51 वर्ष आत्मज श्री रामकुंवार जाति मीणा निवासी माल की झौंपडियॉ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
8. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
9. उप पंजीयक लाखेरी उप तहसील लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
10. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये श्रीमान् जिलाधीश महोदय बून्दी ।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग लाखेरी जिला बून्दी ।

उपस्थित :— 1. श्री राजकुमार गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1, 5 ल0 7 की ओर से ।
3. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 11 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ में कुल 03 किता की 2.42 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 3717 रकबा 1.20 हैक्टर में से 0.45 हैक्अर खसरा नम्बर 3719 रकबा 0.95 हैक्टर में से 0.09 हैक्टर व खसरा नम्बर 3712 रकबा 0.27 हैक्टर में से 0.15 हैक्टर भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 665 दिनांक 26.04.2011 से प्रतिवादी संख्या 08 पी0डब्ल्यू0डी0 लाखेरी के खाते दर्ज हो गई । उक्त भूमि के अलावा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 4 के खाते व कब्जे में कुल 1.73 हैक्टर भूमि शेष बचती है जिस पर वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादीगण के पिता श्री रामकुंवार आत्मज सांवला के खाते व कब्जे काश्त में थी । उनकी मृत्य के पश्चात् विरासत में वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 के नाम आयी है । राजस्व रिकॉर्ड में अंकित मौजीराम की मृत्यु हो चुकी इसलिए मौजीराम के स्थान पर उसके वारिसान प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 बनाये गये हैं । श्रीमती भूरी बेवा रामकुंवार की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 हैं । राजस्व रिकॉर्ड में रामकुंवार की पुत्री राजाबाई का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हो रहा है जबकि राजाबाई की मृत्यु रामकुंवार की मृत्यु के 17–18 वर्ष पूर्व हो चुकी है इसलिए उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे । वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादीगण का 1/7 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 प्रत्येक का 1/14 – 1/14 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण क्रम 3 व 4 प्रत्येक का 1/7 – 1/7 हिस्सा बनता है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को बिना विभाजन करवाये अपने हिस्से का हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण का 1/7 हिस्सा पृथक से अंकित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर पृथक लगान कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी का बिना विभाजन करवाये अपने हिस्से का विक्रय, रहन एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.09.2019 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05.09.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की कभी तामील नहीं हुई है और अपीलान्ट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है । वादीगण ने मिली भगत कर अपीलान्ट के फर्जी एवं कूटरचित हसताक्षर कर अधीनस्थ न्यायालय को धोखे में रखकर एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित करवाते हुए वाद डिक्री करवा लिया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं

जवाबदेही का अवसर नहीं मिला है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05.09.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत तामील नहीं करवायी है और मिली भगत करके अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए । षडयंत्र करके अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर वाद डिक्री करवा लिया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हुई । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी होने पर दिनांक 02.02.2021 को नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 04.02.2021 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादीगण ने हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का एक दावा परीक्षण न्यायालय में पेश किया और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में वारदीगण का 1/7 हिस्सा निहित है । अतः वादीगण को 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित कर खाता पृथक किया जावे । प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 6 की तामील मानी जाकर उनके खिलाफ दिनांक 17.11.2014 को एक तरफा कार्यवाही की गई । सरकार के खिलाफ दिनांक 30.11.2016 को एक तरफा कार्यवाही की गई । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की कभी भी तामील नहीं हुई है कोई सम्मन अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ है । अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर नहीं मिला है । पक्षकारान मीणा जाति के हैं जिन पर ओल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है । ओल्ड हिन्दू लॉ के अनुसार महिलाओं को पुरूष उत्तराधिकारी होने की स्थिति में सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । रामकुंवार की पुत्री शांतिबाई, लालीबाई, लाड बाई को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.09.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1966 पेज 71, आरआरडी 1981 पेज 361 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 05.09.2019 के निर्णय के खिलाफ दिनांक 11.02.2021 को अपील पेश की गई है जो विलम्ब से पेश की गई है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अपीलान्टगण ने कभी भी इंतकाल की अपील नहीं की है । अपीलान्टगण को विधि सम्मत तामील करवायी गई थी । परीक्षण न्यायालय में वो उपस्थित नहीं हुए हैं । सहखातेदारों के मध्य उनके हिस्सों के अनुसार विभाजन किया गया है जो विधि सम्मत है । अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.09.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2010 (एससी) पेज 294 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट जो कि प्रतिवादी क्रम 02 है जिनके खिलाफ दिनांक 19.11.2014 को एक तरफा कार्यवाही की गई है । अपीलान्ट को जारी सम्मन को अवलोकन किया गया । सम्मन की पृष्ठ में अंकित है कि तामील लेने से मना कर दिया है इसलिए एक प्रति घर पर चस्पा की गई । पप्पूलाल एवं राकेश दो व्यक्तियों के नाम/हस्ताक्षर सम्मन के पृष्ठ भाग में अंकित है परन्तु उनमें गवाहों के पूरे नाम मय पता अंकित नहीं हैं । इस प्रकार तामील सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण नहीं है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय ने 10 तनकीयात कायम की हैं परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है जबकि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । इस दृष्टि से भी परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.09.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट एवं अन्य प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अतिरिक्त तनकी कायम करना है तो कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा